International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 20-07-2020; Accepted: 05-08-2020; Published: 21-08-2020
www.socialsciencejournal.in
Volume 6; Issue 4; 2020; Page No. 105-108

कोटा विकासखण्ड (जिला बिलासपुर) के कृषि उद्यम में प्रचलित परिवहन सुविधाओं का मूल्यांकन

पी.एल. चंद्राकर
विभागाध्यक्ष भूगोल, सी.एम दुबे महाविद्यालय, बिलासपुरं, छत्तीसगढ़, भारत

प्रस्तावना

परिवहन का अर्थ उन गतिविधियों से है, जिनके अन्तर्गत सामान और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे पर लाने ले जाने में सहायता मिलती है। व्यवसाय में इसको एक सहायक क्रिया के रूप में माना जाता है, जो कच्चे माल को उत्पादन के स्थान तक और तैयार समान को उपयोग बिक्री के लिए लोगों तक पहुँचाने में व्यापार और उद्योग की सहायता करती हैं।

परिवहन सुविधा उपलब्ध रहने पर कृषि कार्य में लगने वाला समय, लागत एवं उपज की नष्वरता कम हो जाती हैं। तथा कृषि उत्पादों के आदान प्रदान में तीव्रता आ जाती हैं साथ ही कृषक की कार्य क्षमता बढ़ती जाती हैं। इस प्रकार परिवहन सुविधा में क्षमता, गति, आवृति,सुरक्षा तथा व्यय आदि प्रमुख शर्ते है, जिनका प्रभाव कृषि कार्य में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता हैं।

परिवहन अक्सर कृषकों द्वारा की गई सबसे मंहगी विपणन लागत है इसलिए परिवहन में सभी सावधानियाँ बरतने की आवष्यकता है। खराब परिवहन स्थिति के कारण काफी घाटा हो सकता है, तथा मानव श्रम की मांग अधिक हो जाती है, जबकि परिवहन के अच्छा साधन होने पर जीवनयापन के लिए व्यवसायिक कृषि का विकास कर सकते है।

कोटा, बिलासपुर जिले का कृषि प्रधान विकासखण्ड है। कृषि इस विकासखण्ड के अर्थव्यवस्था का केन्द्र बिन्दू है, तथा लोगों के जीवन की धुरी है। इस विकास खण्ड में 81.68 प्रतिषत मुख्य कार्यकर्ता कृषि उद्यम करते हैं। धान इनका प्रमुख फसल है जो कुल बोया गया क्षेत्रफल के 90.83 प्रतिषत कृषि भूमि में उगाया जाता है। धान कृषि में उपज क्षेत्र, उपभोग एवं बिक्री क्षेत्र में परिवहन की विषेष आवष्यकता होती है। इसीलिए प्रस्तुत शोध पत्र में विकास खण्ड के कृषि उद्यम में प्रचलित परिवहन सुविधाओं का मूल्यांकन विषय का चयन किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र

छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में कोटा विकासखण्ड का विस्तार मध्यवर्ती भाग मे हैं। ग्लोब पर यह विकास खण्ड 22^{0}09′ से 22^{0}36′ उत्तरी अंक्षाष तथा 81^{0}48′ से 82^{0}18′ पूर्वी देषान्तर के मध्य है। इस विकासखण्ड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 879.86 वर्ग कि.मी. है तथा सन् 2011 की जनगणनानुसार कूल जनसंख्या 228358 थी। विकास खण्ड का अधिकांस भाग पठारी एवं पहाड़ी है। इसीलिए कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 27.77 प्रतिषत भाग कुल बोया गया क्षेत्रफल है जिसमें से 19.16 प्रतिषत कृषि भूमि दो फसली है तथा 18.23 प्रतिषत कृषि भूमि सिंचित है।

जिला भू अभिलेख पत्रक (2010) क अनुसार विकसखण्ड में कुल भू स्वामी कृषिको की संख्या 30,199 थी जो 33,771 हेक्टेयर भूमि के स्वामी थे। यहाँ जोत आकार का वितरण असमान है। कुल भूस्वामियों में से 65.60 प्रतिषत सीमान्त कृषक है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि का स्वामीत्व है। ये कृषक विकास खण्ड के 24.66 प्रतिषत कृषि भूमि के स्वामी है। विकासखण्ड के 19.36 प्रतिषत कृषक लघु कृषक है। जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य कृषि भूमि का स्वामीत्व है। इस वर्ग के कृषको के पास कुल कृषि जोत का 24.99 प्रतिषत भूमि हैं। इस प्रकार विकास खण्ड के 85 प्रतिषत कृषक सीमांत एवं लघु कृषक के श्रेणी में आते है।

अर्ध मध्यम कृषक (2–4 हेक्टेयर भूमि) की संख्या 10.91 प्रतिषत है। इनके पास कुल कृषि जोत का 26.14 प्रतिषत भूमि है, मध्यम कृषक (4–10 हे.) की संख्या 3.73 प्रतिषत है, जिनके पास 19.01 प्रतिषत जोत आकार है, तथा वृहद कृषक (10 हे.से अधिक) 0.38 प्रतिषत है जिनके पास 5.17 प्रतिषत जोत आकार उपलब्ध है।

इस विकासखण्ड का विस्तार पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण ज्यादातर बस्तियां बिखरी हुई दूर दूर बसी हुई तथा खेत भी दूर दूर बिखरे हुए ळें

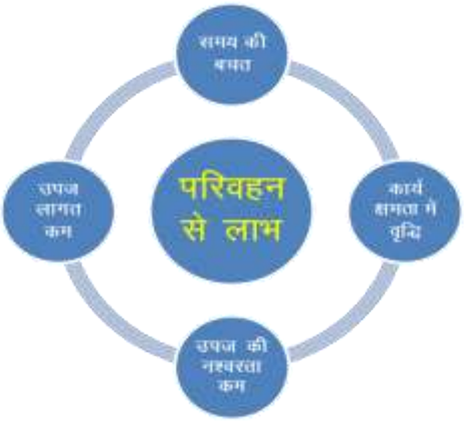

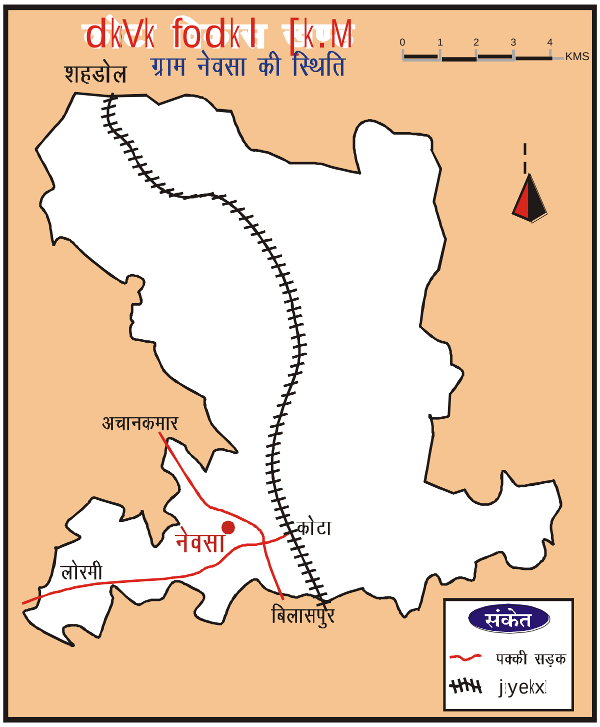

अध्ययन का उद्देष्य

प्रस्तुत सोध लेख कोटा विकास खण्ड के कृषि उद्यम में प्रचलित परिवहन सुविधाओं का मूल्यांकन अध्ययन का प्रमुख उद्देष्य निम्नलिखित है

1. अध्ययन क्षेत्र में कृषि कार्य के क्रियान्वयन के लिए कितने प्रकार के परिवहन सुविधाओं का उपयोग किया जाता हैं, इस तथ्य को प्रकाष में लाना है।
2. कृषि उद्यम के लिए परिवहन सुविधाओं के उपयोग करने से होने वाली कठिनाईयों को ज्ञात करना।
3. उपयुक्त परिवहन सुविधा के अभाव में कृषिकों को होने वाले विभिन्न प्रकार के नुकसानों का आकलन करना।
4. कृषि को लाभकारी बनाने समय की बचत एवं कार्य क्षमता वृद्धि के लिए उपयुक्त परिवहन सुविधा क्या हो सकती है? इस बात का आंकलन करना।

षोध प्रविधि

प्रस्तुत षोध पत्र को तथ्य पूर्ण एवं प्रामाणिक बनाने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोंनो तरह के स्त्रोंतो से प्राप्त आँकड़ो को आधार बनाया गया है। प्राथमिक आंकड़े विकास खण्ड के पांच ग्रामों के 150 कृषक परिवारों के प्रतिदर्ष सर्वेक्षण, साक्षात्कार एवं छायाचित्र द्वारा आंकडा संग्रहण किया गया है तथा द्वितीयक आंकड़ें जनगणना पुस्तिका, जिला सांख्यिकीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य प्रामाणिक साहित्यों से एकत्रित किया गया है।

कृषि कार्य में परिवहन सुविधा की आवष्यकता –

धान प्रधान कृषि क्षेत्र में परिवहन की आवष्यकता को यहां दो भागो में बांटा गया ह‟ –

1. उत्पादन क्षेत्र में परिवहन की आवष्यकता (अधिकतम 3 कि. मी.) –

A. घुरूवा से खेत तक जैविक खाद परिवहन करने।
B. बाजार से घर एवं घर से खेत तक बीज एवं रासायनिक खाद परिवहन करने।
C. उपज को खेत से खलिहान तक परिवहन करने।
D. कृषि उपकरण जैसे हल, स्प्रींकलर, मोटर, पम्प, पंखा, पाईप आदि को घर से खेत एवं खेत से घर तक परिवहन करने।
E. बीज एवं थरहा (धान का पौधा) का परिवहन करने।
F. निर्माण हेतु मिट्टी, रेत, गिट्टी, सीमेंन्ट, ईट, लकड़ी आदि का परिवहन करने।
G. खलिहान से घर तक भण्डारण हेतु परिवहन की आवष्यकता।

2. उपभोग एवं विक्रय क्षेत्र में परिवहन की आवष्यकता (अधिकतम 100 कि.मी.) –

A. उपज को घर या खलिहान से मण्डी, बाजार या सहकारी केन्द्र तक परिवहन की आवष्यकता।
B. घर से मिल तक उपज को परिवहन की आवष्यकता एवं उसे मिल से घर तक परिवहन की आवष्यकता।

प्रतिदर्ष ग्राम

कोटा विकास खण्ड के कृषि उद्यम में प्रचलित परिवहन सुविधाओं का आंकलन करने विकास खण्ड के षिवतराई, सराईपाली, नेवसा, पटैता एवं करका पांच ग्रामों का प्रतिचयन सोद्देष्य प्रतिचयन (चनतचवेपअम`मसमबजतवद) रीति से किया गया है, तथा प्रत्येक ग्राम के 30 कृषक परिवारों का अनुसूची तैयार कर परिवहन सुविधा जोत आकार सम्बन्धी आंकड़ा एकत्रित किया गया है।

कोटा एक जनजातीय विकासखण्ड है। चयनित 4 ग्रामों में 60–88 प्रतिषत तक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या निवास करती है, तथा षेष एक ग्राम पटैता में मात्र 26.98 प्रतिषत अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या निवास करती है। चयनित सभी ग्रामों की साक्षरता दर 60–76 प्रतिषत के बीच (सारणी –1) है।

सारणी 1: प्रतिदर्ष ग्रामों की जनसंख्या संरचना – 2011

क्र०	ग्राम का नाम	कुल जनसंख्या	लिंगानुपात (प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियाँ)	अनु.ज. जा % में	साक्षरता % में
1.	शिवतराई	1297	1023	82.00	76.20
2.	सरईपाली	538	985	83.27	74.88
3.	नेवसा	579	1022	62.20	60.62
4.	पटैता	1323	977	26.98	68.86
5.	करका	655	966	88.06	66.99

स्त्रोत जनगणना पुस्तिका, 2011

चयनित ग्रामों में कुल जनसंख्या में से 50.72 प्रतिषत लोग कार्यषील थे जिनमें से 40.87 प्रतिषत मुख्य कार्यकर्ता थे। कुल मुख्य कार्यकर्ता में से 42.64 प्रतिषत कृषक एवं 28.60 प्रतिषत कृषि मजदूर थे। इस प्रकार प्रतिदर्ष ग्रामों औसतन 71.24 प्रतिषत लोग कृषि व्यवसाय करते (सारणी –2) हैं।

सारणी 2: प्रतिदर्ष ग्रामों की व्यवसायिक संरचना – 2011

क्र०	ग्राम का नाम	कुल कार्यषील जनसंख्या % में	कुल मुख्य कार्यकर्त्ता % में	कुल कृषक % में	कुल कृषि मजदूर % में
1.	शिवतराई	48.87	32.65	49.27	25.60
2.	सरईपाली	56.50	24.67	39.46	27.62
3.	नेवसा	53.01	53.96	38.57	37.50
4.	पटैता	42.25	65.60	43.6	25.36
5.	करका	52.97	27.49	42.30	26.92
योग		50.72	40.87	42.64	28.60

स्त्रोत: जनगणना पुस्तिका, 2011

प्रतिदर्ष परिवारो का जोत आकार

पांच ग्रामों के चयनित 150 परिवारों में से 80 प्रतिषत परिवार सीमांन्त एवं लघु कृषक है जिनके पास 1– 2 हेक्टेयर के आस पास कृषि जोत (सारणी–3) है तथा 12.66 प्रतिषत परिवार मध्यम वर्ग के जोत आकार वाले कृषक है जिनके पस 2–4 हेक्टेयर के बीच कृषि भूमि है तथा 7.33 प्रतिषत चयनित परिवार 4 हेक्टेयर से अधिक जोत आकार वाले हैं।

सारणी 3: प्रतिदर्ष परिवारो का जोत आकार

क्र०	ग्राम	प्रतिदर्ष परिवार	सीमान्त कृषक 1 हेक्टे० से कम	प्रतिशत में	लघु कृषक 1–2 हेक्टे०	प्रतिशत में	मध्यम कृशक 2–4 हेक्टे०	प्रतिशत में	वृहद कृषक 4हेक्टे० से अधिक	प्रतिशत में
1.	शिवतराई	30	15	50:	07	23.3:	05	16.67:	03	10:
2.	सरईपाली	30	15	50:	09	30.0:	04	13.3:	02	6.60:
3.	नेवसा	30	14	46.6:	11	36.67:	03	10:	02	6.67:

4.	पटैता	30	14	46.6:	08	26.67:	05	16.67 :	03	10:
5.	करका	30	17	56.67:	10	33.3:	02	6.67:	01	3.3:
योग		150	75	50.00:	45	29.98:	19	12.66:	11	7.33:

प्रतिदर्ष परिवारों द्वारा उत्पादन क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली परिवहन सुविधाएं

प्रतिदर्ष ग्राम में चयनित 150 परिवारों द्वारा उत्पादन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के परिवहन सुविधाओ का उपयोग किया जाता (सारणी –4) है–

सारणी 4: प्रतिदर्ष परिवारों द्वारा उत्पादन क्षेत्र मे परिवहन सुविधा का उपयोग

क्र॰	ग्राम	प्रतिदर्ष परिवार	ट्रेक्टर	प्रतिशत में	बैल गाड़ी	प्रतिशत में	साईकिल एवं मानव श्रम	प्रतिशत में	मानव श्रम	प्रतिशत में
1.	शिवतराई	30	05	16.6%	12	40%	03	10%	09	30%
2.	सरईपाली	30	02	6.67%	09	30%	08	26.67%	13	43.33%
3.	नेवसा	30	04	13.3%	08	26.67%	07	23.33%	11	36.67%
4.	पटैता	30	06	20%	12	40%	06	20%	06	20%
5.	करका	30	02	6.67%	11	36.6%	09	30%	08	26.67%
योग		150		12.64		34.67		22.00		31.33

सारणी क्रमांक 4 के अनुसार प्रतिदर्ष परिवारो मे से 12.64 प्रतिषत कृषक उत्पादन क्षेत्र में कृषि कार्य संचालन के लिए ट्रेक्टर का उपयोग करते हो ये कृषक ज्यादातर वृहद जोत आकार वाले है। दूसरे क्रम में प्रतिदर्ष परिवारो के 34.65 प्रतिषत कृषक उत्पादन क्षेत्र में बैलगाड़ी द्वारा परिवहन कार्य करते है। ये कृषक मध्यम जोत आकार वाले है। तृतीय प्रतिदर्ष परिवारों मे से 53.33 प्रतिषत मानव श्रम एवं साईकिल द्वारा परिवहन से कृषि कार्य का क्रियान्वयन करते है। इनमें से कुछ कृषक कभी कभी ट्रेक्टर एवं बैल गाड़ी किराये से लेकर परिवहन करते है। इस प्रकार प्रतिदर्ष ग्रामों के प्रतिदर्ष परिवारों के ज्यादातर कृषक मानव श्रम एवं साईकिल द्वारा उत्पादन क्षेत्र में कृषि कार्य का संचालन करते है। ये कृषक ट्रेक्टर (लगभग 12 लाख कीमत) एवं बैलगाड़ी (लगभग 1 लाख कीमत) मंहगा होने के कारण क्रय नहीं कर सकते है। किराया द्वारा उपयोग करने पर कृषि में उत्पादन लागत बढ़ जाती है जिससे इन कृषक परिवारों को उत्पादन से लाभ अपेक्षाकृत कम मिलता है इसके अलावा किराया से परिवहन सुविधा का उपयोग करते है, तो वे बेरोजगार हो जाते है अतः बचत एवं खाली बैठे रहने के बजाय स्वंय परम्परागत विधि एवं साईकिल से परिवहन कार्य करते हैं।

प्रतिदर्ष परिवारों द्वारा उपभोग/विक्रय क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली परिवहन सुविधाएँ

प्रतिदर्ष परिवारों में उपभोग एवं विक्रय क्षेत्र में उपयोग किये जाने वाले परिवहन सुविधाओं का सारणी क्रमांक–5 में प्रदर्षित किया गया है।

सारणी 5: के अनुसार प्रतिदर्ष परिवारों में से 73.33 प्रतिषत परिवार उपभोग व विक्रय क्षेत्र में ट्रेक्टर का उपयोग करते है, तथा 10.66 प्रतिषत परिवार मेटाडोर का उपयोग करते है और 15.99 प्रतिषत परिवार बैल गाड़ी से वस्तुओ को बाजार ले जाते है। इनमें से अधिकतर कृषक परिवहन हेतु किराये की वाहन उपयोग करते है।

क्र॰	ग्राम	प्रतिदर्ष परिवार	ट्रेक्टर	प्रतिशत में	मेटाडोर	प्रतिशत में	बैलगाड़ी	प्रतिशत में
1.	शिवतराई	30	23	76.66%	03	10%	04	13.33%
2.	सरईपाली	30	22	73.33%	02	06.67%	06	20.00%
3.	नेवसा	30	24	80%	01	03.33%	05	16.66%
4.	पटैता	30	21	70%	06	20%	03	10%
5.	करका	30	20	66.66%	04	13.33%	06	20.0%
योग		150	110	73.33	16	10.66	24	15.99

परिवहन सुविधा उपयोग की समस्याएं

प्रतिदर्ष परिवारों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रतिदर्ष ग्राम में कृषकों को परिवहन सुविधाओं के उपयोग करने से निम्नलिखित समस्याएँ आती है –

1. कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर एक बहुउपयोगी यंत्र है, परन्तु इसका उपयोग केवल वृहद जोत आकार वाले कृषक ही कर रहे है। इसकी कीमत (12लाख रू.) अधिक होने के कारण लघु एवं सीमान्त कृषक किराये पर कभी कभी उपयोग करते है।
2. बैलगाड़ी परिवहन हेतु इस क्षेत्र का प्रमुख परम्परागत साधन है किन्ते बैलगाड़ी की कीमत (एक लाख रू.) अधिक होने के कारण इसका उपयोग मध्यम एवं वृहद जोत आकार वाले कृषक ही करते है।
3. सीमान्त एवं लघु कृषक जीविको पार्जन हेतु कृषि करते है, आर्थिक स्तर कमजोर होने के कारण ज्यादातर कृषि कार्य स्वतः श्रम करके या साईकिल द्वारा या सूर आदि का उपयोग परिवहन हेतु करते है।
4. प्रतिदर्ष ग्रामों के अधिकांष कृषकों के पास कृषि कार्य के संपादन हेतु उत्तम परिवहन सुविधा का आभाव है इसी लिए उन कृषकों को समय श्रम अधिक लगता है तथा कृषि से लाभ कम होती है।

5. सीमांत एवं लघु कृषकों के पास वस्तुयें कम रहने के कारण आधुनिक परिवहन सुविधा के उपयोग में परेषानी होती है।
6. प्रतिदर्ष ग्रामों में फसल उत्पादन अनियोजित ढग से किया जाता है तथा खेत तक पहुंच हेतु सड़क सुविधा नही है अतः वे परिवहन सुविधा का सही ढ़ग से उपयोग नही कर पाते है।

सुझाव एवं निष्कर्ष

प्रस्तुत प्रतिदर्ष अध्ययन के आधार पर प्रतिदर्ष ग्रामों में 80 प्रतिषत कृषक सीमान्त एवं लघु जोत आकार वाले है, जो अपना कृषि कार्य प्रायः स्वतः के श्रम एवं परम्परागत परिवहन साधनों द्वारा संपादित करते है इसीलिए उनकों समय एवं श्रम अधिक लगता है। चूँकि आधुनिक परिवहन के उपकरण कापी मंहगे है जिनको वे क्रय श नही कर सकते है। किराये में उपयोग करने पर उत्पादन लागत अधिक आता है, जिससे उन्हें कृषि से लाभ कम मिलता है। इसीलिए वे अत्यनत आवष्यक होने पर किराये के वाहन उपयोग करते है। यदि वे हर समय किराये का उपयोग करेगें तो वे स्वयं बेरोजगार हो जायेगें और उन्हे उनके कृषि से लाभ के बाजाय हानि होगी।

षहरों में परिवहन हेतु प्रचलित हाथ ठेला के उपयोग से ग्रामीण कृषकों की कार्य क्षमता को बढ़ायी जा सकती है। वे एक एकड़ कृषि भूमि के धान उत्पाद को स्वंय के श्रम द्वारा एक सप्ताह में खेत से खलिहान तक परिवहन करते है, उसे वे हाथ ठेला से दो दिन में परिवहन कर सकते है। हाथ ठेला से एक कृषक पांच आदमी के काम को अकेला कर सकता है। हाथ ठेला की कीमत 8 से 10 हजार रूपये है जिसे सीमान्त, लघु एवं मध्यम जोत आकार वाले कृषक आसानी से खरीद सकते है। हाथ ठेला इको फ्रेंडली परिवहन का साधन है। आज ग्रामीण विकास के तहत ग्रामों में सड़कों का विकास हुआ है जिससे उसका उपयोग करने में ज्यादा परेषानी नही आयेगी इसके आलावा छोटे–छोटे कृषक हाथ ठेला द्वारा खाली समय में रोजगार प्राप्त कर सकते है। सरकार को इसके उपयोग के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा आवष्यक होनें पर उसके क्रय पर अनुदान देना चाहिए।

सन्दर्भ सूची

1. चन्द्राकर पी.एल.(2017) : बदली सोच बदली तस्वीर एस. शारदा पब्लिकेषन बिलासपुर (छ.ग.)
2. जिला सांख्यिकीय हस्तपुस्तिका (2010) : जिला सांख्यिकीय विभाग बिलासपुर (छ.ग.)
3. जनगणना पुस्तिका (2011) : जनगणना विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
4. तिवारी आर.सी.(1994): कृषि भूगोल प्रयाग पुस्तक भवन इलाहाबाद (उ.प्र.)
5. त्रिपाठी के. एवं (2012) : छत्तीसगढ़ एटलस शारदा पब्लिकेषन बिलासपुर (छ.ग.)
6. चंद्राकर पी.एल.
7. सिंह ब्रजभूषण (1991) : कृषि भूगोल ज्ञानोदय प्रकाषन गोरखपुर (उ.प्र.)